सम्भारक पंजीकरण की नई पद्धति

डी0रे0का0 में उत्पादन से सम्बंधित सामानों की आपूर्ति के लिए सम्भारकों का पंजीकरण/अनुमोदन RDSO/रूपांकन विभाग डी0रे0का0 द्वारा किया जाता है। इस हेतु विस्तृत जानकारी सम्बंधित वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसी प्रकार टूलिंग आईटमों हेतु पंजीकरण मुख्य यांत्रिक अभियंता/संयन्त्र, चिकित्सा आईटमों के लिए पंजीकरण मुख्य चिकित्सा निदेशक, डी0रे0का0 द्वारा किया जाता है। अधिकांशत: अन्य सामान्य आईटम, DGS&D आधारित आईटम है जो अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों एवं रेलवे बोर्ड इत्यादि से नियंत्रित होते है।

चूँकि डी0रे0का0 द्वारा जरूरी अधिकांशत: आईटम उपर्युक्त विस्तृत पद्धति से डील किए जाते हैं अत: डी0रे0का0 भण्डार विभाग द्वारा अलग से किसी फर्म का पंजीकरण नही किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, किसी आईटम के खरीद की आवश्यकता पड़ने पर कोई भी फर्म जिसका पंजीकरण किसी अन्य रेलवे द्वारा उस आईटम के लिए किया जाता है, उसी आईटम के लिए पंजीकृत सम्भारक माना जायेगा। इस प्र□□ के मामले में फर्म को उस आईटम के लिए उस क्षेत्रीय रेलवे में पंजीकरण का बैध प्रमाण पत्र एवं कम से कम 03 वर्ष का परफारर्मेन्स अपने प्रस्ताव □□□□ □□□□ □□□, अन्यथा उपयुक्त पात्रता क्राइटेरिया के साथ खुली निविदा जारी की जायेगी।

New Vendor Registration System

“DLW is having a system of registration / approval of vendors system for production related item as per RDSO/ Design Department of DLW, for which details are available at respective website.

Similarly for Tooling items registration system is as coordinated by CME/Plant. Registration of medical items is done by CMD/DLW.Most of the other general items are DGS&D based items or controlled by other central agencies, by Railway Board etc.

Since, already majority of the items required by DLW are dealt by elaborate approval systems as above, no further separate registration of firms shall be done by Stores department.

However, in case an item other than the above needs to be procured,than any firm registered by any other of Railway shall be considered as registered supplier for that item. In such cases firms shall be required to submit a valid registration of those zonal railways for that item and latest 3 years’ performance for that item along with the offer. Alternatively open tenders would be resorted with suitable eligibility criteria.”